2018-19 (2)

ISSN 0973-7928
RNI : UPBIL/2006/19107

SAMAJ VIGYAN SHODH PATRIKA

समाजविज्ञान शोध पत्रिका

The Half-Yearly Research Journal of Social Sciences

UGC APPROVED RESEARCH JOURNAL

RESEARCH JOURNAL NO: 48215

Dr. Virendra Sharma, D.Litt.
Chief Editor

Prof. M.M. Semwal
Guest Editor

Dr. Ashok Kumar Rustagi
Managing Editor

Vol. 1 No. XLII, April To September 2018

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. I No. XLII (2018)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
APRIL - SEPTEMBER 2018

जीएसटी : सभी के लिए हितकारी

डॉ. नरेन्द्रपाल सिंह
एसो. प्रोफे- वाणिज्य विभाग
साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद (उ.प्र.)

डॉ. सुनील पंवार
एसो. प्रोफे- वाणिज्य विभाग
एम.पी.जी. कॉलेज, मसूरी (उत्तराखंड)

देश में जीएसटी के लागू होने से अत्यधिक गरीब लोगों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है। जीएसटी से कर दायरा बढ़ने से भविष्य में सरकार का राजस्व बढ़ेगा, जिससे सामाजिक और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक धन खर्च करना संभव हो जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद भी महंगाई काबू में ही रहने की उम्मीद है। सिर्फ 19 प्रतिशत वस्तुओं पर ही कर बढ़ा है। जीएसटी के अंतर्गत रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं पर कर की दरें घटायी गई हैं। 81 प्रतिशत वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत या उससे कम है। जीएसटी देश का सबसे बड़ा कर सुधार है पर अब भी इसमें कुछ परेशानियाँ हैं, जैसे पैट्रोलियम पदार्थ, अल्कोहल, बिजली ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं जैसी कई चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्य सरकार को जिन चीजों से 60 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है, वे सभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। जीएसटी को लागू करने के बाद भी अभी तक आईटी ढांचा दुरूस्त नहीं है जिससे व्यापारियों को कुछ समय के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हमारे देश में अभी तक न तो इंटरनेट के प्रति जागरूकता आयी है और न ही हर जगह हमेशा पर्याप्त रूप से बिजली उपलब्ध रहती है, फिर व्यवसायी व उनके कर्मचारी सूचना प्रौद्योगिकी में कितने निपुण हैं और उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है या नहीं, इस पर भी जीएसटी की सफलता निर्भर है। सरकार ने जीएसटी को लागू कर एक अच्छी पहल की है, जिसका दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से फायदा पहुँचेगा। शुरूआत में भले ही कुछ मुश्किलें आएं, पर अंततः इसका फायदा देश को ही पहुंचेगा और वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता एवं समानता आएगी।

आजादी के 70 साल में सबसे बड़े टैक्स सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के साथ ही 17 अप्रत्यक्ष करों तथा 23 अधिभारों का जंजाल खत्म हो गया है। भारत में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। सर्वप्रथम जीएसटी को लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था और जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीमदास गुप्ता थे। संविधान के अनुच्छेद

...9(ए) के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 33 थी। जीएसटी बिल राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 3 अगस्त व 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया, जिसको राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 को मंजूरी प्रदान की गई। भारत के राज्यों में सर्वप्रथम जीएसटी बिल असम सरकार द्वारा पारित किया गया। पिछले साल 8 नवम्बर को नोटबन्दी के बाद जीएसटी को लागू करना सरकार का दूसरा बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे दीर्घकाल में आम जनता और कारोबारियों को फायदा होगा। जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग लगने वाले सभी कर जीएसटी में समाहित हो गए हैं। इससे पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत लगभग समान तथा सामान्य उपभोक्ताओं के लिए अधिकतर सामान एवं सेवाएं सस्ती हो गई हैं। जीएसटी अप्रत्यक्ष, बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर लगेगा। जबकि अभी तक वैट [illegible] वस्तुओं पर, एवं सेवाओं पर सेवाकर लगता था। जीएसटी के अंतर्गत चुंगी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क जैसे तमाम कर खत्म होने से इंसपैक्टर राज [illegible] लाइसेंस राज की समस्या भी दूर हो गई है। जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों से टैक्स की [illegible] एवं कर का बोझ घटने पर इसका फायदा ग्राहकों को मिला है, लिहाजा दूर संचार, रियल एस्टेट सैक्टर आदि में बड़ा फायदा हुआ है। जीएसटी के अंतर्गत जो टैक्स समाप्त किए गए हैं, उनमें केंद्रीय शुल्क में उत्पाद कर, उत्पाद शुल्क (चिकित्सकीय व प्रसाधन पदार्थ, विशेष महत्व की वस्तु) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, [illegible] एवं सेवा उपकर शामिल हैं। जबकि राज्य के करों में वैट, बिक्री, खरीददारी, लग्जरी कर, एंट्री टैक्स, मनोरंजन कर, विज्ञापन, लाटरी कर एवं राज्य उपकर व सरचार्ज शामिल हैं।[1]

जीएसटी के अंतर्गत सर्वप्रथम सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी टैक्स है, जिसको वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। स्टेट जीएसटी अर्थात् एसजीएसटी की उगाही राज्य सरकार की है। इण्टीग्रेटिड जीएसटी यानी आईजीएसटी राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर लागू है और इस पर वसूली का अधिकार केंद्र सरकार का है, जिसे वह दोनों राज्यों में बाँटती है। यूनियन टेरेट्री जीएसटी यानी यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और इसकी वसूली केंद्र सरकार कर रही है। जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड कारोबारियों को किसी भी वर्ष का हिसाब साल खत्म होने के 81 महीने तक रखना होगा। यही नहीं, अगर जाँच चल रही है, तो यह अवधि और एक साल के लिए बढ़ायी जा सकती है। कारोबारी ने किसी से एडवांस लिया या दिया है, तो उसका अलग हिसाब रखना होगा। जीएसटी उन सभी कारोबारियों पर लागू है, जिनकी सालाना बिक्री 20 लाख रुपये से अधिक है। उत्तर पूर्व के राज्यों और विशेष दर्जे वाले प्रदेशों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है। इससे कम सालाना व्यापार वालों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक राज्य में 75 लाख रुपये तक का सालाना कारोबार करने वालों के लिए जीएसटी के अंतर्गत कम्पोजीशन स्कीम का विकल्प है जिसमें पूरे टर्नओवर पर एक मुश्त टैक्स लगता है।[2]

जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस देश द्वारा अपनाया गया था। वर्तमान में 160 देशों में जीएसटी/वैट लागू है। हालांकि अमेरिका ने अभी भी इससे दूरी बनाई हुई है और वहाँ सभी प्रांतों के पास अपने हिसाब से कर-प्रणाली लागू करने

का अधिकार है। अधिकतर यूरोपिय देशों ने तो इस कर प्रणाली को 70 से 80 के दशक में ही अपना लिया था। प्रारम्भ में तो इन देशों को भी कई व्यापारिक वर्गों का विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा था। न्यूजीलैण्ड ने 1986 में जीएसटी को 10 प्रतिशत की दर से लागू किया और बाद में इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। एशियाई देशों की बात करें, तो मलेशिया ने 26 साल तक चली चर्चा के बाद 2015 में इसे हरी झण्डी दिखायी और जीएसटी की आधार दर 6 प्रतिशत रखी। जापान ने 1989 में एक कर–व्यवस्था की शुरूआत की और वर्तमान में यहाँ जीएसटी की 10 प्रतिशत की दर लागू है। सिंगापुर ने 7 प्रतिशत की दर के साथ जीएसटी को 1994 में अपनाया, आस्ट्रेलिया में भी जीएसटी की वर्तमान दर 10 प्रतिशत है। चीन में अभी जीएसटी आंशिक रूप से लागू है।[3]

देश में जीएसटी के लागू होने से अत्यधिक गरीब लोगों पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है। जीएसटी से कर दायरा बढ़ने से भविष्य में सरकार का राजस्व बढ़ेगा, जिससे सामाजिक और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक धन खर्च करना संभव हो जाएगा। जीएसटी, वस्तु एवं सेवा के खरीददारों पर लगता है, इसलिए आप चाहे वेतनभोगी हों या नहीं, जहां भी आप कुछ खरीदेंगे वहीं पर जीएसटी लगेगा। साथ ही देश में बनने वाली अधिकतर वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। पहले इन पर अन्य करों के अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12. 5 प्रतिशत और राज्यों का वैट 5 से 15 प्रतिशत लगता था। सेवाओं पर पहले 15 प्रतिशत कर लगता था जो अब 18 प्रतिशत जीएसटी के हिसाब से कर लगने से सेवाएं अब थोड़ी महंगी हो गई हैं। जीएसटी के लागू होने से दो नम्बर में धन्धा करने वाले व्यापारी वर्ग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे लोग टैक्स चोरी के लिए अभी तक या तो बिना बिल दिए बिक्री करते थे या फि किसी और ग्राहक को थे, तथा बिल किर ग्राहक के नाम जारी करते थे। माल की व बिक्री नहीं होने पर भी कारोबारी को इनपुट मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। र में पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो गई है, इसलि और खुदरा विक्रेता टैक्स देने से नहीं बच पूरी वैल्यू चैन को ऑनलाइन ट्रैक किया रिटर्न फाइल करने की बाध्यता और उसके पर कड़ी कार्यवाही के डर के कारण द कारोबारी गलत काम करने से पहले व सोचेगा। जीएसटी में केंद्रीयकृत रजिस्ट्रे कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। जि राज्यों में आपका व्यापार है, वहाँ आपको अलग रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता हो गई है नहीं, यदि बेटे ने पिता से कारोबार संभाल उसे भी अलग रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यत गई है। बहरहाल एक राज्य में एक रजिस्ट्रे कई तरह के बिजनेस किए जा सकते हैं। नम्बर पर विभिन्न राज्यों में हुए रजिस्ट्रे अलग इकाई माना जाएगा और उनके बीच पर भी जीएसटी लगेगा तथा उसका क्रे मिलेगा।[4]

जीएसटी के लागू होने से अने कानूनों, जटिल प्रक्रियाओं और इंसपेक्टर र अंत हो गया है। कारोबार में पारदर्शि जवाबदेही बढ़ी है। इससे पंजीकरण, रिटर्न, और टैक्स भुगतान जैसी सभी प्रक्रिया रिकार्ड ऑनलाईन हो गया है, जिससे द और कर प्रशासन के बीच कोई संदेह न अनावश्यक कानूनी पचड़ों से बचा जा सके तक हमारा टैक्स सिस्टम भी बहुत जटि जिसमें टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, बोझ उपभोक्ता पर ही पड़ता था। इससे उ

लाभ भी कम हो जाता था। जीएसटी से रोबारियों का कर का बोझ घटा है और इसका ाभ आम जनता तक पहुँचाने लगा है। जीएसटी के तहत कच्चे माल विक्रेता से लेकर उत्पादक तक सबके लिए बिल देना जरूरी होगया है। परिणामस्वरूप करचोरी मुश्किल हो गई है। जीएसटी से एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच कारोबार करना आसान हो गया है। अभी तक राज्यों में वैट की ऊँची दरें थीं और चुंगी समेत तमाम करों के कारण छोटे व मंझोले व्यापारी अंतर्राज्यीय व्यापार करने से हिचकते थे, उन्हें तमाम राज्यों के बिक्री कर विभागों में भागदौड़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब जीएसटी सभी राज्यों में एक समान रहने से अब राज्य अपने मनमुताबिक कर में बदलाव नहीं कर पाएंगे। इससे कारोबारियों एवं निवेशकों के समक्ष ऊहापोह की स्थिति समाप्त हो गई है। जीएसटी के लागू होने से जीडीपी और विकास दर बढ़ी है, जिससे सरकार की कमाई और रोजगार में भी बढोतरी हुई है। जीएसटी का 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम पर भी सकारात्मक असर दिख रहा है। अब पहले की तरह निर्यात में कोई शुल्क नहीं लग रहा है और माल तैयार करने के दौरान दिए गए टैक्स की वापसी भी सुनिश्चित हो गई है, परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सामान सस्ता हो रहा है। यदि आयातित माल पर सरकार सीमा शुल्क लगाती है, तो भी घरेलू मैनुफैक्चरिंग सस्ती होने के कारण माल सस्ता ही रहेगा। जीएसटी के आने से दुनिया के बड़े निवेशक भी भारत में निवेश बढ़ायेंगे, जो कभी जटिल कर प्रणाली और लाइसेंसिंग के कारण दूर भागते थे। जीएसटी लागू होने के बाद भी महंगाई काबू में ही रहने की उम्मीद है। सिर्फ 19 प्रतिशत वस्तुओं पर ही कर बढ़ा है। अनाजों, रोजमर्रा की वस्तुओं और जरूरी सेवाओं को करमुक्त या बेहद कम दरों के कोटे में रखा गया है। कई राज्यों में सामान और सेवाओं में बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास फंड, ऑक्टरॉय जैसे कई अतिरिक्त शुल्क भी लगते थे। इससे कर 32 से 34 प्रतिशत तक पहुँच जाता था। लेकिन जीएसटी के बाद यह टैक्स पर टैक्स की प्रणालीगत खामी खत्म हो गई है। इससे कारोबार बढ़ने के साथ–साथ सरकार का राजस्व भी बढ़ रहा है, जिससे सरकार बुनियादी ढाँचे और कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा खर्च करने में समर्थ होगी। जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं की आवाजाही में रूकावटें नहीं आने से वस्तुओं की बर्बादी में कमी दर्ज की जा रही है। दोहरे कराधान की समस्या समाप्त हो गई है, इससे कर का बोझ घटा है। अभी तक एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को विभिन्न चुंगियों पर रुककर चुंगी एवं अन्य तरह के कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनके द्वारा प्रतिदिन कम दूरी तय की जाती थी। किंतु जीएसटी लागू होने से रास्ते की रूकावटें समाप्त हो गई हैं और अब वाहन अधिक दूरी तय कर पा रहे हैं। विभिन्न कम्पनियों को विभिन्न राज्यों मे सामान रखने के लिए गोदाम बनाने की जरूरत पड़ती थी, उसमें भी कमी आने लगी है, जिससे बेवजह के खर्चे कम हो रहे हैं। जीएसटी से नकदी की अर्थव्यवस्था में भी कमी आई है, क्योंकि जो व्यवसायी नकदी में लेनदेन करेंगे, उन्हें कोई छूट की सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए डिजिटल लेनदेन उनकी विवशता हो गई है, जिससे अर्थव्यवस्था में काले धन के इस्तेमाल में कमी के साथ–साथ पारदर्शिता भी बढ़ी है। सेवाकर और उत्पादकर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, इससे विनिर्माण करने वाली कम्पनियों एवं व्यवसायी संगठनों को फायदा होना शुरू हो गया है। जीएसटी को इतने प्रभावी ढंग से लागू किया गया है कि यदि इसके सारे

लाभ मिलते हैं तो जीडीपी में एक से दो प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी।[6]

जीएसटी के अंतर्गत रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं पर कर की दरें घटायी गई हैं। 81 प्रतिशत वस्तुएं ऐसी हैं, जिन पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत या उससे कम है। जीएसटी के अंतर्गत महंगी होने वाली वस्तुओं में रेस्तरां में खाना, मोबाईल/टेलीफोन का बिल भुगतान, क्रेडिट कार्ड, बीमा कराना, टूर पैकेज, सोना, बिजनेस क्लास में विमान यात्रा, कोचिंग क्लास, एसी ट्रेन या बस टिकट, फाइव स्टार होटल में ठहरना, 1000 रुपये से उपर वाले कपड़े, ब्यूटी पार्लर तथा बैंकिंग सेवाएं मुख्य रूप से शामिल हैं। जबकि जीएसटी से सस्ती होने वाली वस्तुओं में रोजमर्रा के खाने का सामान, दोपहिया वाहन, इकोनॉमी क्लास में विमान यात्रा, दवाएं, 100 रुपये से कम के फिल्मों के टिक़ट, ऐप टैक्सी सेवा, 1000 रुपये तक के रेडीमेट कपड़े, जनरल और स्लीपर ट्रेन या बस टिकट, 500 रुपये तक के जूते चप्पल, स्मार्टफोन, छोटी लग्जरी कारें, एलईडी लाइट आदि शामिल हैं। जीएसटी के अंतर्गत कुछ वस्तुओं को करमुक्त रखा गयां है, जिनमें खुला खाद्य अनाज, ताजी सब्जियां, बिना मार्का वाला आटा, मैदा एवं बेसन, गुड़, दूध, अण्डे, दही, लस्सी, खुला पनीर, बिना मार्का का प्राकृतिक शहद, खजूर का गुड़, नमक, काजल, फूल भरी झाड़ू, बच्चों की ड्राइंग और रंग की किताबें, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में चीनी, चायपत्ती, कॉफी के भुने दाने, खाद्य तेल, स्किम्ड दूध पाउडर, बच्चों के लिए दूध का आहार, पैक्ड़ पनीर, काजू, किशमिश, पीडीएस कैरोसिन, घरेलू एलपीजी, 500 रुपये तक के जूते चप्पल, 1000 रुपये तक के कपड़े, अगरबत्ती, कॉपर मेट आदि शामिल हैं। 12 प्रतिशत जीएसटी के अंतर्गत मक्खन, घी, बादाम, फ्रूट जूस, पैक्ड नारियल पानी, सब्जियों, फलों, नट्स एवं पौधों के अन्य भागों से निर्मित खाद्य पदार्थ, जिनमें अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम जैली, छाता एवं मोबाइल जैसे उत्पादों को शामिल किया गया है। जीएसटी में 18 प्रतिशत कर की दर केश तेल, टूथपेस्ट, साबुन, पास्ता, कॉर्न फ्लैक्स, सूप, आइसक्रीम, टॉयलेट्रीज, कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर पर लगायी गई है। मात्र 19 प्रतिशत वस्तुएं ही ऐसी हैं, जिस पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत रखी गई है।[6]

जीएसटी देश का सबसे बड़ा कर सुधार है, पर अब भी इसमें कुछ परेशानियाँ हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, अल्कोहल, बिजली ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं जैसी कई चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्य सरकार को जिन चीजों से 60 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है, वे सभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। हमारे देश में असमानता ज्यादा है, इसलिए विभिन्न तरह की चीजों पर विभिन्न दरों से कर निर्धारित किए गए हैं, जैसे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर कम कर लगाया गया है तथा लग्जरी वस्तुओं पर ज्यादा कर लगाया गया है। विदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ हर वस्तु के लिए जीएसटी के तहत एक ही दर से कर लगाया गया है। बहुत छोटे व्यापारियों और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोगों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। सवाल है कि जीएसटी लागू होने से सरकार और व्यवसायियों को फायदा होगा, तो नुकसान किसे होगा? जो लोग अब तक कर चुराते थे एवं नकदी कारोबारी थे तथा काले धन का प्रयोग करते थे, उन्हें जीएसटी से नुकसान होगा, पर जो ईमानदार व्यापारी एवं उपभोक्ता हैं, उन्हें निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। जीएसटी में कर की विभिन्न दरों की जटिलता पर सवाल उठा

है और दलील दी जा रही है कि टैक्स की तरह की दरें, कर ढांचे के सरलता के लक्ष्य भटका देती हैं। जीएसटी की ऊँची दरों के रण के लिए केंद्र सरकार ने अगले पाँच साल राज्यों के राजस्व के नुकसान की भरपाई का ा लिया है। जीएसटी के दायरे से बाहर रखी वस्तुओं एवं सेवाओं की संख्या काफी ज्यादा इनमें शराब भी शामिल है, जिस पर अब भी प्र सरकार आबकारी वैट कानून से कर की दरें कर रही है। खास पैट्रोलियम उत्पादों, जैसे ान ईंधन, पैट्रोल आदि पर भी राज्य टैक्स तय रहे हैं। बिजली भी जीएसटी के तहत नहीं है, ाल एस्टेट भी इससे बाहर है, परंतु पहले की ह ही अचल सम्पत्ति की खरीद बिक्री के लिए ाप षुल्क वसूला जा रहा है। निःसन्देह लोग हेंगे कि रियल एस्टेट व बिजली को भी जीएसटी दायरे में लाया जाय, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में क्स चोरी की भारी आशंका रहती है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक और मसला है। ोएसटी ट्रांजेक्शन के आधार पर देय टैक्स है ोर एमआरपी अर्थात् अधिकतम खुदरा मूल्य की ावधारणा अब समाप्त हो गई है। ऐसी मूल्य र्धारण प्रक्रिया को सतर्क निगरानी की जरूरत ः। जीएसटी कानून के अनुसार कर्ज की उपलब्धता ा पहुँच मौजूदा हालात में काफी बेहतर है और एक कराधीन व्यक्ति बड़ी आसानी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। इनपुट व इनपुट सेवाओं की परिभाषा इतनी व्यापक है कि उनमें ज्यादातर कारोबार आ जाएंगे। इसके अलावा जीएसटी का मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान कारोबारियों को बाध्य करता है कि वे करों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दें। हालांकि इस संदर्भ में कारोबार जगत की भी कुछ आशंकाएं हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। जीएसटी को लागू करने के बाद भी अभी तक आईटी ढांचा दुरूस्त नहीं है, जिससे व्यापारियों को कुछ समय के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देश में जीएसटी को लागू करना एक बहुत बड़ा कदम है और इसमें शुरूआती दौर में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने भले ही जीएसटी के लिए एक यूनिवर्सल इनवॉयस बना दिया है, जिसे सॉफ्टवेयर में डालने पर चीजें अपने आप प्रभावित होती नज़र आ रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जीएसटी की रीढ़ है। हमारे देश में अभी तक न तो इंटरनेट के प्रति जागरूकता आयी है और न ही हर जगह हमेशा पर्याप्त रूप से बिजली उपलब्ध रहती है, फिर व्यवसायी व उनके कर्मचारी सूचना प्रौद्योगिकी में कितने निपुण हैं और उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है या नहीं, इस पर भी जीएसटी की सफलता निर्भर है। रिटर्न दाखिल करने की जटिलताएं अलग हैं। जीएसटी के बाद व्यापारियों को 37 टैक्स रिटर्न भरने पड़ रहे हैं, जो अभी तक 13 थे, साथ ही अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग टैक्स रिटर्न भरे जा रहे हैं। हर महीने रिटर्न फाइल करने के लिए पेशेवर लोगों की जरूरत पड़ रही है। जीएसटी में बिना 'ई–वे–बिल' के माल नहीं भेजा जा सकता है। इसके लिए खुद सरकार को तैयारी की और अधिक जरूरत है। व्यापारियों में जीएसटी को लेकर 21 तरह की सजा और जुर्मानों का खौफ है। समय पर रिटर्न नहीं भरने पर प्रतिदिन 100 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। धोखाधड़ी के लिए टैक्स के बराबर 100 प्रतिशत जुर्माना तथा गलती से कर चोरी पर टैक्स के 10 प्रतिशत जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। साथ ही 1 से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। जीएसटी लागू होने से शुरू के 2 से 3 साल तक महंगाई बढने की आशंका है। जिन देशों में जीएसटी लागू हुआ है, वहां इसका

असर देखा गया है। मलेशिया में वर्ष 2015 में जीएसटी आने के बाद से महंगाई दर 2.5 प्रतिशत तक बढी है। व्यापारियों को माह में तीन बार रिटर्न भरने का प्रावधान है। अभी तक एक माह में स्टॉक व्यवस्थित करना पडता था। डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट को खरीदे गए माल पर चुकाए गए कर को भी समायोजित करना पड रहा है। अब जब हमने जीएसटी को अपना लिया है, तो यह भी ध्यान रखना होगा कि दुनिया में जहां–जहां भी जीएसटी को लागू किया गया वहीं एकाएक महंगाई काफी तेजी से बढ गई थी, यह खतरा हमारे यहाँ भी है। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि जीएसटी की दर भले ही पहले दिए जाने वाले टैक्स से ज्यादा हो गई है, लेकिन पहले एक उत्पाद पर कई जगह कर लगता था, अब एक ही जगह कर लग रहा है। इससे उत्पाद की कीमत कम हुई है, इस कम हुई कीमत का फायदा उपभोक्ता तक पहुंचेगा या फिर व्यापारी उससे अपना मुनाफा बढाएंगे, यह अभी भी देखना बाकी है। सरकार ने जीएसटी को लागू कर एक अच्छी पहल की है, जिसका दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से फ़ायदा पहुँचेगा। शुरूआत में भले ही कुछ मुश्किलें आएं, पर अंततः इसका फायदा देश को ही पहुंचेगा और वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता एवं समानता आएगी।

: संदर्भ सूची :

1. मेहता रंजीत, जीएसटी : भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्णायक मोड़, योजना, 648, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली (नवंबर 2016, पृ. 25–29)
2. मलिक डीएस, जीएसटी परिवर्तन का वाहक, योजना, 648, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली (जून 2017, पृ. 59–61)
3. वस्तु एवं सेवाकर, कुरुक्षेत्र, 655 प्रकाशन विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय सूचना भवन लोधी रोड, नई दिल्ली (जुलाई 2017, पृ. 50)
4. कुमार प्रकाश, जीएसटीएन : क्रांतिकारी कर सुधार की कारगर प्रोद्योगिकी, योजना, 648, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली (अगस्त 2017, पृ. 25–28)
5. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संचालन, रोजगार समाचार, प्रकाशन विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रलय, भारत सरकार, नई दिल्ली (1–7 जुलाई 2017, पृ. 1–2)
6. विभिन्न दैनिक समाचार पत्र, 1 जुलाई 2017
- www.cbec.gov.in